समक्ष माननीय राजस्व मंडल म.प्र. ग्वालियर

पूरनलाल नाई तनय बैनीप्रसाद नाई
निवासी ग्राम पीरा, तह. राजनगर छतरपुर (म०प्र०)

.....आवेदक

//विरूद्ध//

म०प्र० शासन

....अनावेदक

निगरानी अंतर्गत् धारा–50 म.प्र.भू. राजस्व संहिता 1959

उपरोक्त आवेदक ने न्यायालय श्रीमान् कलेक्टर जिला छतरपुर (म.प्र.) के प्रकरण क्रमाँक 66/अपील/अ–89–अ/अ–13/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 04–01–2016 में पारित आदेश के विरूद्ध परिवेदित होकर यह निगरानी निम्नलिखित प्रमुख एवं अन्य आधारों पर प्रस्तुत करता है:–

1. यह कि, प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि अनुविभागीय अधिकारी राजनगर के समक्ष म.प्र.भू.रा.सं. की धारा 44 में प्रस्तुत अपील का निराकरण 30.07.11 को किए जाने पर माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में याचिका क. 150614/2015 आदेश दिनांक 11.08.15 के निर्देशानुसार प्रकरण न्यायालय कलेक्टर छतरपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना किसी सूक्ष्म जांच एवं दस्तावेजी साक्ष्य का परिक्षण किए बिना आवेदकगणों द्वारा प्रस्तुत अपील निरस्त किए जाने से यह निगरानी विधिवत रूप से श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है।

2. यह कि, आलोच्य आदेश प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्य एवं व्याप्त कानूनी सिद्धांतो के प्रतिकूल होने से प्रथम दृष्टया ही निरस्त किए जाने है।

3. यह कि, आवेदक अपने अन्य भाईयों के साथ लगभग 15 वर्ष पूर्व किए गए वटवारे अनुसार काबिज चला आ रहा हैं। विवादित भूमि उसकी पुस्तैनी भूमि है तथा पुस्तैनी कार्य नाई का होने के कारण परिवार के अन्य भाईयों द्वारा अपनी आर्थिक स्थति सुधार करने एवं पारिवारिक कर्ज चुकाने के कारण कुछ कृषि भूमि का विक्रय कई वर्ष पूर्व किया था जिसका आधार लेते हुए प्रश्नगत आदेश के तहत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा संपूर्ण भूमि के साथ–साथ आवेदक के कब्जे वाली भूमि को भी अवैद्य कॉलोनी की श्रेणी में मान्य करते हुए प्रबंधन शासन पक्ष एवं प्रतिबंधित किए जाने का विवादित आदेश पारित किया है जिसकी पुष्टि कलेक्टर छतरपुर द्वारा किए जाने से पारित दोंनों आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक. R-546/II/16 जिला छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
16-2-16	1– आवेदक की ओर विद्वान अधिवक्ता अजय श्रीवास्तव उपस्थित अनावेदक शासन पक्ष की ओर से पेनल अधिवक्ता उपस्थित दोनों पक्षों के तर्क श्रवण किए गए। 2– मैंने प्रकरण का आवलोकन किया। यह निगरानी न्यायालय श्रीमान् कलेक्टर जिला छतरपुर (म.प्र.) के प्रकरण क्रमाँक 66/अपील/अ–89–अ/अ–13/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 04–01–2016 के विरूद्ध भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा–50 के तहत प्रस्तुत की गयी है। 3– आवेदक द्वारा तर्क में कहा गया है कि आवेदक अपने अन्य भाईयों के साथ लगभग 15 वर्ष पूर्व किए गए वटवारे अनुसार काबिज चला आ रहा हैं। विवादित भूमि ख.नं. 1517/2/2/क/1 का रकवा कमशः 1.393 एवं 1.392 भूमि आवेदक एवं उसके भाईयों की पुस्तैनी भूमि है तथा पुस्तैनी कार्य नाई का होने के कारण परिवार के अन्य भाईयों द्वारा अपनी आर्थिक स्थति सुधार करने एवं पारिवारिक कर्ज चुकाने के कारण कुछ कृषि भूमि का विक्रय कई वर्ष पूर्व किया था जिसका आधार लेते हुए अनुविभागीय अधिकारी द्वारा संपूर्ण भूमि के साथ–साथ आवेदक के कब्जे वाली भूमि को भी अवैद्य कॉलोनी की श्रेणी में मान्य करते हुए प्रवंधन शासन पक्ष एवं प्रतिबंधित किए जाने का आदेश पारित किया है जिसके विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश उपरांत भी प्रस्तुत अपील की पुष्टि कलेक्टर छतरपुर द्वारा किए जाने से पारित आदेश को निरस्त करने का अनुरोध किया है। 4– आवेदक अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क दिया है कि अनुविभागीय अधिकारी राजनगर द्वारा उपपंजीयक कार्यालय राजनगर से भूमि के विक्रय की जानकारी प्राप्त की है जिसमें उनके दिए गए प्रतिवेदन अनुसार आवेदक द्वारा किसी भी भूमि का विक्रय नहीं किए जाने के उपरांत भी आवेदक के कब्जे वाली भूमि को भी सम्मलित कर प्रबंधन शासनपक्ष एवं प्रतिबंध्ति किए जाने की कार्यावाही की गई है जबकि आवेदक गण बटवारा अनुसार अपनी भूमि पर काबिज चला आ रहा है	

[कृ. प. उ.

R 0546-II/16 (छतरपुर)

2

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर
	इस कारण आवेदक की कब्जे वाली भूमि को प्रतिबंधन से मुक्त करते हुए पारित आदेशं को निरस्त किए जाने का आग्रह किया गया है। 5— अनावेदक शासन की ओर से अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया है कि कलेक्टर जिला छतरपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.01.2016 में कोई वैद्यानिक त्रुटि नहीं किए जाने से पारित आदेश को स्थिर रखते हुए निगरानी निरस्त किए जाने का अनुरोध किया है। 6— उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्को के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया अनुविभागीय अधिकारी द्वारा हल्का पटवारी के प्रतिवेदन के अनुसार प्रश्नाधीन भूमि डायवर्सन के बिना भूमि का विक्रय किए जाने के कारण अवैद्य कालोनी का निमार्ण करने पर आवेदक के साथ गोविन्ददास, नवल किशोर एवं रामकिशोर के विरूद्ध आदेश पारित किया है प्रश्नाधीन भूमि 1/4 भाग पर सभी पक्षों का रजिस्टर्ड वटवारा हुआ है। उपपंजीयक कार्यालय राजनगर के दिए गए प्रतिवेदन अनुसार कमांक 1, 2, व 3 में गोविन्ददास नवलकिशोर, रामकिशोर पुत्र बैनीप्रसाद द्वारा एवं क 4 में पियुष पुत्र प्रयाग नारायण द्वारा विवादित कृषि भूमि का विकय किये जाने का उल्लेख है आवेदक पूरनलाल द्वारा भूमि का विकय किया जाना नहीं पाया जाता। अतएव प्रस्तुत तर्को एवं उपपंजीयक राजनगर के प्रतिवेदन के आधार पर प्रश्नगत आदेश हस्तक्षेप योग्य पाता हूँ। 7— उपरोक्त विवेचना के आधार पर कलेक्टर छतरपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.01.16 एवं अनुविभागीय अधिकारी राजनगर द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.07.11 में आवेदक पूरननाई को रजिस्टर्ड वटवारा अनुसार 1/4 हिस्से की भूमि रकवा 0.677 को शासनहित एवं प्रतिबंधन से मुक्त करते हुए आवेदक के नाम यथावत रखे जाने के निर्देश दिए जाते है शेष भूमि के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी एवं कलेक्टर छतरपुर द्वारा पारित आदेश यथावत रखा जाता है तदानुसार यह निगरानी इसी स्तर पर निराकृत की जाती हैं प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (हस्ताक्षर) सदस्य	